राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राज,)302005

क्रमांक : प 23(22)परि/प्र.नि./EV/2019 / 26056 दिनांकः 9-11-2022

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
समस्त।

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2021 के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2021 के अन्तर्गत राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनो की खरीद को प्रोत्साहन देने हेतु इलैक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को SGST राशि का पुर्नभरण एवं एकमुश्त अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया था। जिसके अन्तर्गत SGST राशि का पुनर्भरण समस्त प्रकार के इलैक्ट्रिक वाहनों पर देय है एवं एकमुश्त अनुदान राशि दोपहिया व तिपहिया इलैक्ट्रिक वाहनों पर बैटरी क्षमता अनुसार देय थी। अतः इस संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. ऐसे इलैक्ट्रिक वाहनो जिनका क्रय एवं पंजीयन 31 अगस्त 2022 तक किया जा चुका है एवं जिन पर कार्यालय आदेश क्रमाकं 10/2021 दिनांक 16.07.2021 एवं 02/2022 दिनांक 23.03.2022 के तहत अनुदान देय था किन्तु अनुदान प्रदत्त नहीं किया गया है, उन्हे अनुदान देय किया जाना है, अतः इस श्रेणी के समस्त लम्बित प्रकरणों को अविलम्ब निस्तारित किया जाए।
2. दिनांक 01.09.2022 अथवा उसके पश्चात् क्रय एवं पंजीकृत लीड बैटरी वाले इलैक्ट्रिक वाहनों को कार्यालय आदेश 02/2022 के तहत् अनुदान प्रदत्त नहीं किया जायेगा, उल्लेखनीय है कि राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, दिनांक 1.09.2022 से प्रभावी है, जिसके अन्तर्गत आधुनिक बैटरी (Advanced Batteries like Lithum-ions) वाले वाहनों को ही अनुदान दिया जायेगा एवं राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के अन्तर्गत देय अनुदान की अधिसूचना पृथक से जारी की जायेगी।

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक : प 23(22)परि/प्र.नि./EV/2019 /26057–064 दिनांकः 9-11-2022

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
5. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
6. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
7. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

Phone : 0141-2740021,2850600, Fax :0141-2740177, Email : transport@rajasthan.gov.in/ transport.pollution@rajasthan.gov.in, Web : www.transport.rajasthan.gov.in